

**कार्यालय नगर परिषद गढ़वा**  
**अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना**  
**निविदा सूचना संख्या – E- Tender 09/2017-18**

- (1) निविदाकर्ता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गढ़वा।  
 (2) परिणाम विपत्र की बिक्री की तिथि एवं समय :- 16.01.2018 को कार्यालय अवधि में।  
 (3) परिणाम विपत्र बिक्री का स्थान :- कार्यालय, नगर परिषद गढ़वा।  
 (4) निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- 17.01.2018 को 2.00 बजे अपराह्न तक।  
 (5) निविदा प्राप्त करने एवं खोलने का स्थान :- कार्यालय, नगर परिषद गढ़वा।  
 (6) निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 17.01.2018 को 3.00 बजे अपराह्न।  
 (7) निविदाधीन कार्य विवरणी :-

क्रम सं०	वार्ड सं०	कार्य का नाम	मद	प्राक्कलित राशि (रुपये में)	अग्रधन की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	वार्ड नं० 11 के अन्तर्गत टैक्सी स्टैण्ड का पी० सी० सी० पथ निर्माण।	परिवहन मद	1917016.00	38500.00	10000.00	2 माह

Note:- 1- Only e- Tender will be accepted.

2. Any changed in B.O.Q. can be seen on website <https://jharkhandtenders.gov.in>

3. Further detail can be seen on website <https://jharkhandtenders.gov.in>

4. विस्तृत सूचना/शर्त अद्योहस्ताक्षरी एवं N.I.C गढ़वा एवं [udhd.gov.in](http://udhd.gov.in) के वेबसाईड एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

ह०/-  
कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद गढ़वा।

ज्ञापांक

21

दिनांक

4/01/2018

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे संवाददाता प्रभात खबर, हिन्दुस्तान, एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित करायें।

ह०/-  
अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-  
कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद गढ़वा।

ज्ञापांक

21

दिनांक

4/01/2018

प्रतिलिपि :- N.I.C गढ़वा को अपने वेबसाईड पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं उक्त तिथि को ससमय उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता नगर परिषद, गढ़वा को सूचनार्थ उक्त तिथि को ससमय उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।


प्रतिलिपि :- उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक एवं वरीय पदाधिकारी नगर परिषद गढ़वा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मा० अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगर परिषद गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-  
अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-  
कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद गढ़वा।

**कार्यालय नगर परिषद गढ़वा**  
**अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना**  
**निविदा सूचना संख्या- 09/2017-18**  
**नियम एवं शर्तें**

- 1- सभी निविदादाताओं को अपनी निविदाएँ मुहरबन्द लिफाफे में जमा करना अनिवार्य है। उस लिफाफे पर अपना नाम पता साफ-साफ अंकित करेंगे, अन्यथा उनकी निविदा मान्य नहीं होगी।
- 2- निविदा की शर्तें एकरारनामा के अंग होगी। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- 3- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा, तथा किसी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः/अंशतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
- 4- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो वापस नहीं होगा) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गढ़वा के पदनाम से देय तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (गढ़वा) में भुगतये होगा।
- 5- परिमाण विपत्र का मूल्य, 2% अग्रधन की राशि एवं 3% एकरारनामा करते समय की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गढ़वा के नाम से देय होगा। (परिमाण विपत्र का मूल्य की राशि वापस नहीं होगा) किसी भी परिस्थिति में NSC/TD नहीं लिया जायेगा।
- 6- निविदा दाताओं को निविदा के साथ पैन कार्ड, आयकर, GST कर के अद्यतन भुगतान का प्रमाण पत्र, अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र तथा श्रम अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र जिसमें समय अवधि बैध हो की सुस्पष्ट अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 7- एकरारनामा से अधिक का कार्य करने पर अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 8- कार्य प्रारम्भ करने के लिए कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी, तथा कार्य आवंटन के एक सप्ताह के अन्दर संवेदक को एकरारनामा सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा।
11. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से करना संवेदक की जवाबदेही होगी तथा अन्य सामग्रियों की कीमत में वृद्धि एवं मजदूरी में वृद्धि होने पर किसी प्रकार का दावा देय नहीं होगा।
12. कोई भी संरचना कार्य तकनीकी पदाधिकारी की उपस्थिति में कराना अनिवार्य होगा।
13. अगर संवेदक एकरारनामा में दर्शाये गये विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप कार्य का निष्पादन निर्धारित समय/अवधि में पूर्ण नहीं करते हैं तथा उनके द्वारा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता की जाती है, तो अन्य वैधिक कार्रवाई के अतिरिक्त संवेदक का निबंधन रद्द कर दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण करने के लिए कोई अवधि विस्तार नहीं दी जायेगी।
14. संवेदक को इस बात की गारंटी देनी होगी कि योजना के निर्मित पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य समाप्ति की तिथि से 01 वर्षों तक किसी भी मरम्मती की आवश्यकता नहीं होगी। संवेदक द्वारा निर्मित कार्य में मरम्मती की आवश्यकता होने पर संवेदक स्वयं अपने व्यय पर उसकी मरम्मती करेंगे।
15. एकरारनामा की कुल राशि का 5% जमानत की राशि के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा। एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर जॉचोपरान्त कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी, एवं 2% अग्रधन की राशि एवं 3% एकरारनामा करते समय की राशि कार्य पूर्ण होने की तिथि से छः माह बाद वापस चेक के माध्यम से जितना जमा करेंगे उतना का ही हकदार होंगे। किसी भी परिस्थिति में उससे अधिक की दावा मान्य नहीं होगा।
16. कार्य आवंटन के बाद उक्त संवेदक द्वारा ही स्थल पर कार्य कराया जाना है। कार्य दूसरे एजेंन्सी से कराये जाने पर एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा।
17. निविदा का न्यूनतम दर परिमाण विपत्र की दर से 10% तक ही कम मान्य होगा।
18. निधि उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
19. वैसे संवेदक जिनको इस कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्य आवंटित किया गया है, किसी भी परिस्थिति में उनको कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।

  
कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद गढ़वा।